2 लेकर अग्रिम बोदूराम बोदूराम अधिवक्ता 11/9/23	11/09/23	पत्रावली प्रस्तुत। वकील उपस्थित। वकील वादी ने पूर्व में अभिभाषक द्वारा दिनांक 02/08/23 को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो किये जाने वाद पत्र पेश किया था। और वादी बोदूराम, कैलाश एवं मुख्तयार आम रविंद्र कुमार S/o पेश किया गया था। वादिगण की पहचान उनके अभिभाषक श्री रविंद्र कुमार अधिवक्ता की। वकील वादी। वकील ने मु. के. 195/22 में वादी संख्या 03,4,5,7. रामपाली, सन्तोष, सोनू, जसनी का मुख्तयार आम वादी रविंद्र कुमार पेश किया गया। वादी संख्या 06 का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किया गया। मुख्तयार आम रविंद्र कुमार पुत्र हरपाल जाति जाट उम्र 43 साल निवासी प्लाट नं. 41 आलापुरी विस्तार ए-बैगाड रोड मोखाड़ा जयपुर का निवासी बताया है। वकील वादी एवं वादिगण S/o पेश प्रार्थना पत्र वाद विड्रो में प्रकरण में पैरोकार अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है एवं प्रकरण के वादकारण आदायगी कि प्रकरण संख्या 274/2002 के संबंध दिनांक 02/07/2002 को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जोन की-3 के अधीन दिनांक 01/07/2002 को 90 की की कार्यवाही की गयी भूमि अवाप्ति हेतु समपरिवर्तित श्रेणी प्राप्त होने विधिक कार्यवाही के आधार में उक्त वाद अधीन भूमि का वाद माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर महानगर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय श्रीमान कलक्टर
जयपुर महानगर जयपुर

बनाम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/7/20	[illegible] प्रार्थी की वादकारी अमुक निवासी प्रतिपक्षकार जयपुर द्वारा विपक्षी के पक्ष में मौखिक बैठकियों विवादित होकर बेदखल उसवार की लड़ाई का मौखिक सिविल न्यायालय के गत वर्ष लेकिन अन्यायी के प्रयास जारी हुआ उक्त वाद सिविल न्यायालय में लेख का किया गया प्रार्थी को इस सिविल अन्यायी [illegible] किसानों के पश्चात् वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत करवाया किया कारण अब इस न्यायालय में अन्य किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। इसलिये प्रार्थी अपने वाद को सक्षम न्यायालय में चार गोदी के साथ लिखित के साथ विड़ा वाला चाहता है। वादिका को उक्त तथ्यों सिविल अन्यायी होने के पश्चात् उपस्थित श्रीमतीजी वाद विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक सिविल वाद संख्या 493/2020 अन्यायी बैठकियों वाद एवं उसका कब्जा पश्चिमांचल एवं अन्य माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया जो वर्तमान में माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या 02 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर के समक्ष लंबित है।

वादिका प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए वाद पत्र को सक्षम न्यायालय में चार गोदी के साथ लिखित के साथ एवं मौखिक में वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ उक्त वाद विड़ा वापस किया जाये

कलक्टर
जयपुर महानगर जयपुर